CONTENTS

1	SYSTEM OF CLASSIFICATION OF OPEN PRISONS DR. **ROHIT KAPOOR**	**05-09**
2	THE RIGHT OF FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT ACT, 2013: AN OVERVIEW- DR.**VIKAS KUMAR**	**10-15**
3	"PERFORMERS RIGHT" **DR.AMIT CATURVEDI**	**16-24**
4	DEFENCES AGAINST HOSTILE TAKEOVER **DR.PRIYANKA**	**25-28**
5	"VALUATION OF GOODS UNDER CENTRAL EXCISE ACT, 1944" **DR. SARMILA BANU**	**29-36**
6	HOSTILE TAKEOVER **DR.MONIKA GONDAL**	**37-49**
7	IDENTIFICATION OF SCHEDULED CASTE AND ITS JUDICIAL APPROAC H **DR.KRISHNA MURARI**	**50-66**
8	THE CONCEPT AND LEGAL SIGNIFICANCE OF AN ARBITRAL SEAT **B.BHANUPRYA**	**67-71**
9	ROLE OF CCI IN BANKING MERGERS WITH SPECIAL REFERENCE TO BANKING LAW AMENDMENT **S. SHARMA**	**72-83**
10	ANTI DUMPING: INDIAN LEGAL FRAMEWORK **DR.RANAJAN KUMAR**	**84-91**
11	OBLIGATIONS AND RIGHTS OF A PAYING BANKER **RAMNARAYAN**	**92-97**
12	BUSINESS ASPECTS OF BANKING: A LEGAL DIMENSION **ABADUL KALIM**	**98-112**
13	STUDY ON SUNDAY MARKET RAIPUR **DR.JAGANNATH SAHA**	**113-116**
14	छत्तीसगढ़ राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालय (जिला ग्रंथालय) का अधोसंरचनात्मक अनुशीलन डॉ. संगीता सिंह /सरिता मिश्रा	**117-127**

Scanned with CamScanner

छत्तीसगढ़ राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालय (जिला ग्रंथालय) का अधोसंरचनात्मक अनुशीलन

सारांश –

नवगठित छत्तीसगढ़ प्रदेश में सार्वजनिक पुस्तकालय (ग्रंथालय) की स्थापना, सुदृढ़ीकरण, रख–रखाव तथा विकास हेतु ''छत्तीसगढ़ सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 2008'' अधिसूचना क्रमांक 8578/डी. 240/21–अ दिनांक 04.09.2008 के अनुसार 10 सितंबर 2008 से लागू किया है। इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक जिले में जिला ग्रंथालयों की स्थापना की गई है। छत्तीसगढ राज्य के सर्वेक्षित जिला ग्रंथालय अधोसंरचना की दृष्टि से एक समृद्ध जिला ग्रंथालय के रूप में स्थापित हो चुके हैं। यहां सदस्यों की संख्या में लगातार वृद्धि के संकेत मिले हैं, संग्रह की स्थिति पर्याप्त होने के साथ–साथ सूचना सेवाएं उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से प्रदान की जा रही है। इन ग्रंथालयों द्वारा पाठक निर्देशन कार्यक्रम के तहत व्यक्तियों के सामाजिक एवं आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने हेतु चलाये जा रहे हैं। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में जिला स्तर पर स्थापित जिला ग्रंथालय सूचना क्रांति के द्वारा व्यक्तियों के सामजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक विकास में बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं।

RESEARCHERS TODAY

ISSN - 2231- 4369.

Volume 08, No 30,

Author :

डॉ. संगीता सिंह
शोध निर्देशक
ग्रंथपाल एवं विभागाध्यक्ष
डॉ. सी.व्ही. रामन् विश्वविद्यालय
कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)
सरिता मिश्रा शोध छात्रा
पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग
कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)

Received on 06/12/2018
Revised on 17/12/2018
Accepted on 27/12/2018

प्रस्तावना –

सार्वजनिक पुस्तकालय सर्वजन के हितार्थ एक शैक्षणिक संस्थान है, जो औपचारिक शिक्षण संस्थानों के अतिरिक्त शिक्षा के प्रचार–प्रसार में मदद करते हैं। इसकी सेवा निःशुल्क होती है, इसमें किसी भी प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठकर सेवा प्रदान की जाती है। यह एक स्थानीय सूचना केन्द्र के रूप में भी कार्य करती है, जिसमें प्रत्येक प्रकार की सूचना उपलब्ध होती है। इन केन्द्रों में प्रत्येक वर्ग एवं आयु के व्यक्ति, हर जाति, धर्म, लिंग के लोगों के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय भेद–भाव रहित सेवाएं प्रदान करती है।

नवगठित छत्तीसगढ़ प्रदेश में सार्वजनिक पुस्तकालय (ग्रंथालय) की स्थापना, सुदृढ़ीकरण, रख–रखाव तथा विकास हेतु **''छत्तीसगढ़ सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 2008''** अधिसूचना 8578/डी. 240/21–अ दिनांक 04.09.2008 के अनुसार 10 सितंबर 2008 से लागू है। इस अधिनियम के अनुसार माध्यमिक शिक्षा को छत्तीसगढ़ सार्वजनिक पुस्तकालयों का निर्देशक बनाया गया है जो अधिनियम के उपबन्धों के उचित प्रशासन और प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी होगा। वह राज्य शासन के नियंत्रण के अध्याधीन राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली और सेवाओं के विकास के लिये वार्षिक बजट, वार्षिक तथा पंचवर्षीय योजनाएं तैयार कर सरकार को प्रस्तुत करेगा।

Scanned with CamScanner

वर्तमान समय में सूचना क्रांति एवं सूचना प्रौद्योगिकी से कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है, जिसे अपने सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, एवं अन्य सभी प्रकार के विकास में सूचना की आवश्यकता न हो। सहीं समय पर सही सूचना के द्वारा ही मानव विकास संभव है। अतः सार्वजनिक पुस्तकालय की अवधारणा इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति पर आधारित है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अपनी जनहितैषी कार्यक्रमों एवं योजनाओं की सफलता के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय (जिला ग्रंथालय) की स्थापना ''छत्तीसगढ़ सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 2008'' के अंतर्गत की गई है, ताकि प्रदेश के सभी व्यक्तियों को अधिक से अधिक सूचनाएं प्राप्त हो और उनके सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक प्रगति सुनिश्चित हो सके तथा प्रदेश राष्ट्र की मुख्यधारा में उच्चतम स्थान प्राप्त कर सके। छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक पुस्तकालय की महत्ता एवं उसके बढ़ते प्रभाव पर विचारण करते हुए राज्य पुस्तकालय परिषद तथा जिला पुस्तकालय समिति का गठन किया है।

शोध का महत्व –

सार्वजनिक पुस्तकालय (जिला ग्रंथालय) व्यक्तियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोई भी समाज तब तक विकसित नहीं हो सकता, जब तक व्यक्ति साक्षर न बने। इसलिए व्यक्तियों के विकास में, उन्हें शिक्षित व साक्षर बनाने में, उनके सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को बढ़ाने में सार्वजनिक पुस्तकालय का महत्वपूर्ण योगदान है। सार्वजनिक पुस्तकालय की उपयोगिता, आवश्यकता तथा उसके बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के 10 जिलों में स्थापित सार्वजनिक पुस्तकालय (जिला ग्रंथालय) का अधोसंरचनात्मक व्यवस्थाओं एवं उपलब्ध संसाधनों पर प्रकाश डालना आवश्यक है।

अध्ययन का उद्देश्य –

प्रस्तुत अध्ययन के द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय (जिला ग्रंथालय) उपलब्ध संसाधनों तथा अधोसंरचनात्मक व्यवस्थाओं का अनुशीलन कर वस्तुस्थिति से अवगत करना तथा समस्याओं के निराकरण हेतु आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करना है।

शोध क्षेत्र एवं सीमाएं –

अध्ययन क्षेत्र में संपूर्ण छत्तीसगढ़ के सभी 27 जिले समाहित हैं। अध्ययन की सीमाएं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित जिला ग्रंथालय के अधोसंरचनात्मक व्यवस्थाओं एवं एवं उपलब्ध संसाधनों तक सीमित है।

छत्तीसगढ़ के सर्वेक्षित सार्वजनिक पुस्तकालय (जिला ग्रंथालय) की अधोसंरचनात्मक स्थिति –

1. **शासकीय जिला ग्रंथालय, जगदलपुर –**

शासकीय जिला ग्रंथालय की स्थापना वर्ष 1955 में बस्तर हाई स्कूल केम्पस में हुई थी। यह ग्रंथालय प्राचीन होने के साथ–साथ अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथालय है, जो ऐतिहासिक एवं पौराणिक अनुकृतियों को समेटे हुए पाठकगणों को पाठ्य सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। वर्तमान में मोहम्मद हुसैन खान ग्रंथालयाध्यक्ष एवं अन्य 03 सहायक सेवारत हैं। इस ग्रंथालय पुरूष सदस्य 811, महिला सदस्य 375 एवं अन्य 15 सदस्य, कुल 1501 सदस्य हैं। यहां के सभी सदस्य आजीवन सदस्य हैं। यह ग्रंथालय बंद प्रणाली के अंतर्गत सेवाएं प्रदान कर रही हैं। यहां पाठकों को 14 के लिए ग्रंथ एवं पत्रिकाएं आदि प्रदान किये जाते हैं। यहां संग्रह में 30,000 ग्रंथ, 21 पत्रिकाएं तथा 350 संदर्भ ग्रंथ संग्रहित हैं। यहां ग्रंथों का वर्गीकरण तथा सूचीकरण किया जाता है। इस ग्रंथालय में सूचना स्रोत के रूप में पत्र–पत्रिकाओं एवं समाचार–पत्र के माध्यम से सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। विभिन्न ग्रंथों के प्रतिलिपिकरण के लिए फोटोकापी सेवा उपलब्ध हैं। समाचार पत्र के रूप में प्रायः सभी समाचार पत्रों के हिन्दी/अंग्रेजी अंक मंगाये जो हैं। यहां

Scanned with CamScanner

विशेष सेवा के रूप में प्रलेख सेवा एवं बाल विकास सेवा दी जाती है तथा पाठक निर्देशन कार्यक्रम के अंतर्गत निर्देश की प्रणाली अपनाई जाती हे। ग्रंथालय में अन्य सेवाओं में ग्रंथ चयन एवं आदेश के कार्य किये जाते हैं। स्पष्ट है कि शासकीय जिला ग्रंथालय, जगदलपुर अपने विकसित संसाधनों के अनुसार पाठकगणों को मांग के अनुसार शासकीय योजनाओं, प्रादेशिक सूचनाओं के साथ–साथ विभिन्न पाठ्य सामग्रियों के द्वारा सूचना आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है।

शासकीय जिला ग्रंथालय, बिलासपुर –

बिलासपुर का जिला ग्रंथालय अत्यंत प्राचीन एवं पौराणिक ग्रंथ संग्रह की मौलिकता के साथ शासकीय जिला ग्रंथालय के रूप में बिलासपुर में स्थित है। वर्तमान में यहां कु. श्वेता तिवारी ग्रंथालयाध्यक्ष एवं अन्य 03 सहायक के के साथ ग्रंथालय सेवाएं पाठकों को प्रदान कर रहे हैं। ग्रंथालय में पुरूष सदस्य 250, महिला सदस्य 200 एवं अन्य 150 कुल 600 सदस्य है, जिन्हें आजीवन सदस्यता प्रदान की गई हैं। यहां खुली प्रणाली के अंतर्गत ग्रंथालय को संचालित किया जाता है। यह पाठक सदस्यों को ग्रंथ, पत्रिका एवं अन्य पाठ्य सामग्रियां रखने की अधिकतम सीमा 10 दिनों का रखा गया है। यहां निविदा के आधार पर पुस्तकों का क्रय किया जाता है। वर्तमान में इस ग्रंथालय में 11,832 ग्रंथ, 18 देशी एवं विशी पत्रिकाएं तथा 01 क्षेत्रयी पत्रिकाओं का संग्रह है। इस ग्रंथालय में सूचीकरण को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। यहा सूचना स्रोत के रूप में कम्प्यूटर, पत्र–पत्रिकाएं तथा समाचार पत्र हैं, जिसके माध्यम से सूचना आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। यहां हिन्दी समाचार पत्रों की संख्या 10, अंग्रेजी तथा व्यवसायिक पत्रिकाएं 04 व रोजगार संबंधी पत्र–पत्रिकाओं की संख्या 03 है। इस ग्रंथालय में कम्प्यूटर की व्यवस्था है। इस ग्रंथालय में ग्रंथ चयन एवं आदेश, नियम निर्माण एवं प्रबंधन के अन्य कार्य किये जाते हैं। जिला ग्रंथालय को समय के साथ–साथ और अधिक विकसित बनाने हेतु भव्य भवन तथा बाल पुस्तकालय की शाखा खोलने की योजना पर कार्य किया जा रहा है।

शासकीय जिला ग्रंथालय, दन्तेवाड़ा –

जिला ग्रंथालय, दंतेवाड़ा की स्थापना 28 सितंबर 2011 को किया गया है। इस ग्रंथालय में राज्य सरकार द्वारा ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक अवशेषों पर आधारित विभिन्न ग्रंथों के संग्रहण तथा आदिवासी जीवन शैली को विकसित करने के लिए अनेक ग्रामीण योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी अभिलेखों तथा प्रत्येक नागरिक को त्वरित सूचना प्राप्त हो सके तथा उनके आर्थिक एवं सामाजिक विकास में दैनन्दिनी प्रगति हो, को ध्यान में रखते हुए संग्रह उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। वर्तमान में जिला ग्रंथालय दंतेवाड़ा में व्याख्याता श्री मधुसूदन राव को ग्रंथालय का प्रभारी वर्ष 2012 से बनाया गया है। इस ग्रंथालय में पुरू सदस्य 300, महिला सदस्य 150 तथा अन्य सदस्य 450 हैं, यहां सदस्यता अवधि 1 वर्ष रखा गया है। यहां की ग्रंथालय प्रणाली खुली प्रणाली (आसंग) है। यहां प्रलेख पाठकों को 20 दिवस तथा कर्मचारियों के 3 दिवस के लिए प्रदान की जाती है। पुस्तक क्रय निविदा पर आधारित होती है। यहां ग्रंथा संगह के अंतर्गत ग्रंथों का संकलन 10,000, पत्र–पत्रिकाएं 20, क्षेत्रीय पत्रिका 02 एवं संदर्भ ग्रंथों की संख्या 10 हैं। साथ ही विभिन्न योजनाओं से संबंधित संग्रह एवं विभिन्न विभागों के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन भी उपलब्ध हैं। यहां पुस्तकों के रखरखाव हेतु वर्गीकरण एवं सूचीकरण की व्यवस्था की गइ है। सूचना स्रोत के रूप में पत्र–पत्रिकाएं एवं समाचार पत्र प्रमुख हैं। यहां पाठकों को अनुवाद सेवा प्रदान किया जाता है। समाचार पत्रों में बस्तर इन्फेक्ट, नया प्रदेश, पत्रिका, देशबंधु का संग्रह हमेशा उपलब्ध रहते हैं। पुस्तकों के आदान प्रदान एवं अन्य

Scanned with CamScanner

कार्य हेतु कम्प्यूटर का प्रयोग किया जाता है। विशेष सेवाओं में प्रलेख सेवा, बाल विकास सेवा तथा प्रदर्शनी सेवा उपलब्ध हैं। ग्रंथालय में पाठक निर्देशन कार्यक्रम के अंतर्गत व्याख्यान, निर्देश तथा संगोष्ठी का आयोजन एन.एम.डी.सी. के द्वारा सम्पन्न कराये जाते हैं। ग्रंथालय के अन्य कार्यों में ग्रंथ चयन एवं आदेश, नियम निर्माण तथा प्रबंधन प्रमुख हैं। इस ग्रंथालय को प्रतिवर्ष लगभग 4 लाख रूपये वार्षिक अनुदान राज्य शासन द्वारा दिया जाता है। ग्रंथालय के विस्तर हेतु ई–लाईब्रेरी स्थापित करने की योजना बनाई गई है।

शासकीय जिला ग्रंथालय, दुर्ग –

शासकीय जिला ग्रंथालय दुर्ग का नाम ''मैथिलीशरण गुप्त ग्रंथालय'' के नाम 1956–57 से दुर्ग में स्थापित किया गया है। यह ग्रंथालय अत्यंत प्राचीन एवं लोकप्रिय ग्रंथालय है। जहां पौराणिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक संकलनों एवं अभिलेखों के साथ–साथ वर्तमान औद्योगिक विकास तथा शासकीय योजनाओं से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण प्रलेख विद्यमान हैं। वर्तमान में इस ग्रंथालय में श्री शरद कुमार शर्मा, व्याख्याता को प्रभारी ग्रंथपाल नियुक्त किया गया है। यहां कुल 04 कर्मचारी कार्यरत हैं। इस ग्रंथालय में पुरूष सदस्यों की संख्या 800, महिला 200 तथा अन्य 200 सदस्य हैं, जिन्हें आजीवन सदस्यता प्रदान की गई है। अध्ययन समय 8 घण्टे का रखा गया है तथा खुली प्रणाली (आसंग) के द्वारा पुस्तकों का आदान–प्रदान किया जाता है। यहां प्रदायित ग्रंथ 14 दिनों तथा पत्रिका 3 दिनों के लिये प्रदान किया जाता है। ग्रंथालय संग्रह निविदा के आधार पर क्रय किया जाता है। इस ग्रंथालय में 38,751 ग्रंथ, 40 पत्रिकाएं भारतीय व विदेशी तथा 02 क्षेत्रीय पत्रिकाएं एवं 5000 संदर्भ ग्रंथ उपलब्ध हैं। यहां ग्रंथालय का वर्गीकरण डेवी डिसिमल क्लासीफिकेशन ई.डी. 19 के अनुसार किया जाता है। ग्रंथालय में मुख्य सूचना स्रोत पत्र–पत्रिकाएं एवं समाचार पत्र हैं। इस ग्रंथालय में हिन्दी के 10, अंग्रेजी के 9, रोजगार समाचार, रोजगार नियोजन 04 निरंतर मंगाये जाते हैं। ग्रंथालय में कम्प्यूटर उपकरण की मदद से पुस्तकीय संग्रहण का कार्य किया जाता है। ग्रंथालय में पाठक निर्देशन कार्यक्रम के अंतर्गत व्यक्तिगत सहायता/संदर्भ सेवा प्रदान किया जाता है। में अन्य कार्यों में बजट आबंटन, ग्रंथ चयन एवं आदेश, नियम निर्माण तथा प्रबंधन कार्य किया जाता है। ग्रंथालय को वर्ष 2012 से क्रमशः अनुदान दिया जा रहा

शासकीय जिला ग्रंथालय, जशपुर –

सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के द्वारा जिले में शासकीय जिला ग्रंथालय की स्थापना 2012 में की गई है। जहां शासकीय योजनाओं, जिले के ऐतिहासि, सांस्कृतिक, साहित्यिक गतिविधियों तथा विभिन्न जनहितैषी साहित्यों का संग्रह विद्यमान है। वर्तमान में इस ग्रंथालय में श्री बन्धुराम निराला प्रभारी ग्रंथपाल के रूप में कार्यरत हैं। इस ग्रंथालय में कुल 04 कार्यालयीन कर्मचारी कार्यरत हैं। यह ग्रंथालय नवीन ग्रंथालय होने के कारण यहां सदस्यों की पुरूष सदस्य 400, महिला सदस्यों की संख्या 300 एवं अन्य सदस्यों की संख्या 120 है, जिन्हें आजीवन सदस्यता प्रदान की गई है। ग्रंथालय 8 घण्टों की सेवाएं अपने पाठकों को प्रदान कर रहे हैं। यहां बंद प्रणाली के तहत ग्रंथालय संचालित हैं। इस ग्रंथालय में पाठकगण अधिक 7 दिवस तक प्रदायित पुस्तकें रख सकते हैं। यहां पुस्तकों का क्रय जिला प्रशासन क्रय समिति द्वारा किया जाता है। यहां 10000 ग्रंथ एवं 20 मासिक पत्रिकाओं का संकलन विद्यमान है। यहां ग्रंथालय सूचना स्रोत के रूप में पत्र–पत्रिकाएं एवं समाचार पत्र की भूमिका अहम है। ग्रंथालय समाचार पत्रों में दैनिक भास्कर, हरिभूमि, नवभारत, नई दुनिया, छत्तीसगढ़ का संग्रह प्रतिदिन विद्यमान रहता है। विशेष सेवा के रूप में प्रलेख सेवा एवं बाल विकास सेवा दी जा रही हैं।

Scanned with CamScanner

ग्रंथालय में पाठक निर्देशन कार्यक्रम के अंतर्गत व्याख्यान, निर्देश एवं संगोष्ठी आयोजित कये जाते हैं। ग्रंथालय मूं अन्य सुविधाओं के अंतर्गत नियम निर्माण एवं प्रबंधन आता है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रतिवर्ष इस ग्रंथालय को सहायक अनुदान दिया जाता है। ग्रंथालय विकास में बाल पुस्तकालय एवं ई–लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना राज्य शासन को प्रेषित की गई है।

शासकीय जिला ग्रंथालय, कबीरधाम –

जिला ग्रंथालय कबीरधाम दिनांक 07.06.2011 को अस्तित्व में आया। वर्तमान में यहां 3 कर्मचारी कार्यरत हैं। यह ग्रंथालय नवीन ग्रंथालय होने के कारण ग्रंथालय के सदस्यों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। यहां सदस्यों की संख्या पुरूष 250 तथा महिला सदस्यों की संख्या 150 है, जिन्हें आजीवन सदस्य बनाया गया है। यह ग्रंथालय प्रातः 9.00बजे से संध्या 7.00 बजे तक पाठकों को सूचना आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। यहां खुली प्रणाली एवं बंद प्रणाली के द्वारा संयुक्त रूप से पुस्तकों का आदान–प्रदान किया जाता है। यहां ग्रंथ अधिकतम 15 दिवस तथा पत्रिका 3 दिवस के लिए वितरित किये जाते हैं। पुस्तक क्रय हेतु निविदा का सहारा लिया जाता है। इस ग्रंथालय में 8842 ग्रंथ, 250 भारतीय, विदेशी एवं क्षेत्रीय पत्रिकाएं संग्रहित हैं। सूचना स्रोत के रूप में पत्र–पत्रिकाएं एवं समाचार पत्र का उपयोग किया जाता है। ग्रंथालय समाचार पत्रों में नवभारत, हरिभूमि, देशबंधु, छत्तीसगढ़, दैनिक भास्कर उपलब्ध हैं। ग्रंथालय में कम्प्युटर उपलब्ध हैं तथा पाठकों को दी जाने वाली विशेष सेवाओं में प्रलेख सेवा एवं प्रदर्शनी सेवा प्रदान की जाती है। अन्य कार्यों में बजट आबंटन, ग्रंथ चयन एवं आदेश,ख नियम निर्माण तथा प्रबंधन का कार्य किया जाता है। इस ग्रंथालय को राज्य शासन द्वारा प्रतिवर्ष अनुदान दिया जाता है। यहां पुस्तकालय को ई–सूचना प्रणाली से जोड़ने की योजना राज्य शासन को भेजी गई है।

शासकीय जिला ग्रंथालय रायगढ़ –

शासकीय जिला ग्रंथालय रायगढ़ की स्थापना सन् 1955 में हुई थी। यह जिला ग्रंथालय प्राचीन अभिलेखों एवं संग्रह के लिए ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत समृद्धशाली एवं महत्वपूर्ण ग्रंथालय है। सूचना क्रांति की आवश्यकता को यह ग्रंथालय प्राचीन संस्मरणों से जोड़ते हुए अपने पाठकों को अमूल्य साहित्य सेवा प्रदान कर रही है। वर्तमान में इस ग्रंथालय के ग्रंथालयाध्यक्ष श्री आर.डी. सोनी है तथा उनके अधीनस्थ 04 अन्य सहायक कार्यरत हैं। ग्रंथालय का भवन है जहां पुरूष सदस्य 580, महिला सदस्य 2014 एवं अन्य सदस्य 50 हैं, जिन्हें आजीवन सदस्य बनाया गया है। ग्रंथालय खुलने का समय प्रातः 9.00 बजे से संध्या 7.00 बजे तक निर्धारित हे। यहां आंशिक खुली प्रणाली के अनुसार पुस्तकों का आदान–प्रदान किया जाता है। यहां पाठक सदस्य एवं कर्मचारियों को ग्रंथ 8 दिन, पत्रिका 04 एवं अन्य प्रलेख 10 दिन तक रखने के लिए सुविधा प्रदान की गई है। पुस्तक क्रय हेतु निविदा पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस ग्रंथालय में 32450 ग्रंथ, पत्रिका 32 मासिक एवं पाक्षिक तथा संदर्भ ग्रंथ 4000 उपलब्ध हैं। ग्रंथालय सूचना स्रोत के रूप में कम्प्यूटर, पत्र–पत्रिकाएं, समाचार पत्र तथा इंटरनेट का उपयोग हैं। यहां फोटोकापी की सुविधा प्रदान की जाती है। समाचार पत्रों में हिन्दी, अंग्रेजी, व्यावसायिक, सांख्यकी आदि की 26 समाचार संकलन पत्र मंगाये जाते हैं। पुस्कालय में कम्प्यूटर एवं इंटरनेट की सेवा प्रदान की जाती है। विशेष सेवाओं के रूप में पाठकों को बाला विकास सेवा दी जाती है। ग्रंथालय में पाठक निर्देशन कार्यक्रम के अंतर्गत व्याख्यान, निर्देश, व्यक्तिगत सहायता/संदर्भ सेवा एवं संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है। ग्रंथालय के अन्य कार्यों में बजट आबंटन, ग्रंथ चयन एवं आदेश, नियम निर्माण तथा प्रबंधन के कार्य किये जाते हैं। राज्य

Scanned with CamScanner

शासन द्वारा वर्ष 2016 में 350000 तथा 2017 में 550000 रूपये अनुदान राशि प्रदान की गई है। ग्रंथालय विस्तार के अंतर्गत डिजीटलीकरण हेतु 87 लाख का अनुदान स्वीकृत किया गया है।

शासकीय जिला ग्रंथालय, रायपुर –

शासकीय जिला ग्रंथालय रायपुर की स्थापना 1955 में हुई थी, जो वर्तमान में रायपुर शहर के नलघर चौक पर स्थित है। इस जिला ग्रंथालय दायित्व ग्रंथालयाध्यक्ष श्रीमती पूर्णिमा गैब्रिएल को दिया गया है। इस ग्रंथालय में सहायक ग्रंथपाल, क्लर्क एवं भृत्य सहित कुल 05 कर्मचारी कार्यरत हैं। इस ग्रंथालय में पुरूष सदस्य 1500, महिला सदस्य 1200 एवं अन्य सदस्य 400 हैं, जिन्हें आजीवन सदस्यता प्रदान की गई है। यह ग्रंथालय प्रातः 10.00 बजे से संध्या 5. 00 बजे तक खुला रहता है तथा रविवार को प्रातः 9.00 बजे से संध्या 6.00 बजे तक पाठकों को आवश्यकतानुसार अध्ययन की सुविधा एवं ग्रंथ उपलब्ध कराया जाता है। इस ग्रंथालय में आंशिक खुली प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। ग्रंथालय से प्राप्त ग्रंथ एवं पत्रिकाएं 14 दिनों तक पाठकगण अपने पास रख सकते हैं। ग्रंथालय में पुस्तक क्रय करने हेतु निविदा प्रक्रिया का पालन किया जाता है।

शासकीय जिला ग्रंथालय (डिजिटल) राजनांदगांव –

शासकीय जिला ग्रंथालय (डिजिटल) राजनांदगांव एक अत्यंत समृद्धशाली एवं पौराणिक ग्रंथ संग्रह के लिए प्रचलित ग्रंथालय है। यहां ग्रंथालयाध्यक्ष के रूप में श्रीमती चन्द्रकला पराते को नियुक्त किया गया है। उनके अधीनस्थ 03 कर्मचारी कार्यरत हैं। ग्रंथालय का स्वयं का भवन है, जिसमें पुरूष 960, महिला 900 एवं अन्य 200 आजीवन सदस्य हैं। ग्रंथालय खुलने की अवधि 8.00 प्रातः से 8.00 बजे रात्रि तक है। यहां खुली प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इस ग्रंथालय में अधिकतम 15 दिवस के लिए ग्रंथ प्रदान किये जाते हैं। ग्रंथ क्रय हेतु निविदा आमंत्रित किये जातें हैं। इस ग्रंथालय में 16471 ग्रंथ, 27 पत्र–पत्रिकाएं संग्रहित हैं। इस ग्रंथालय में टी.वी., कम्प्यूटर, पत्र–पत्रिकाएं, समाचार–पत्र, इंटरनेट सूचना स्रोत उपलब्ध हैं। समाचार पत्रों में हिन्दी के 09 तथा अंग्रेजी के 05 समाचार–पत्र प्रतिदिन मंगाये जाते हैं। ग्रंथालय में कम्प्यूटर एवं इंटरनेट सेवा के साथ ही प्रलेख सेवा, बाल विकास सेवा उपलब्ध हैं। ग्रंथालय में पाठक निर्देशन कार्यक्रम के लिए व्याख्यान आयोजित की जाती है। ग्रंथालय के अन्य कार्यों में बजट आबंटन, ग्रंथ चयन एवं आदेश, नियम निर्माण तथा प्रबंधन किये जाते हैं। राज्य शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष अनुदान दिया जाता है। ग्रंथालय विकास के अंतर्गत अतिरिक्त भवन बनाने की योजना राज्य शासन को भेजा गया है।

शासकीय जिला ग्रंथालय, अंबिकापुर –

छत्तीसगढ़ सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के द्वारा शासकीय जिला ग्रंथालय अंबिकापुर 2012 में प्रारंभ किया गया, जिसके पुस्तकालयाध्यक्ष श्रीमती सिसिलिया बखला हैं। इस ग्रंथालय अन्य 5 सहायक कर्मचारी भी कार्यरत हैं। नवीन ग्रंथालय होने के कारण इस ग्रंथालय में सदस्यों की संख्या में पुरूष 300, महिला 150 तथा अन्य 95 हैं, जिन्हें एक वर्ष के लिए सदस्यता प्रदान की गई है। ग्रंथालय प्रतिदिन प्रातः 8.00 से 8.00 रात्रि तक खुला रहता है। इस ग्रंथालय में खुली आसंग प्रणाली के द्वारा पुस्तकों का आदान–प्रदान किया जाता है। पाठकों को प्रलेख अपने पास रखने का समय 15 दिवस रखा गया है। पुस्तकें क्रय हेतु निविदा पद्धति का पालन किया जाता है। ग्रंथालय में संग्रहित ग्रंथ 27000 तथा विभिन्न पत्रिकाएं 6000 संग्रहित हैं। ग्रंथालय में वर्गीकरण प्रक्रिया अपनाई गई है। सूचना स्रोत के रूप में टी.वी., कम्प्यूटर, पत्र–पत्रिकाएं, समाचार पत्र व इंटरनेट प्रमुख हैं। प्रतिलिपिकरण के लिए फोटोकापी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यहां प्रचलित सभी समाचार पत्र मंगाये जाते हैं। ग्रंथालय में कम्प्यूटर एवं इंटरनेट की सुविधा है। साथ प्रलेख सेवा, बाल विकास

Scanned with CamScanner

सेवा एवं ब्रेललिपि सेवा के द्वारा पाठकों को सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती है। ग्रंथालय पाठक निर्देशन कार्यक्रम में व्याख्यान, निर्देश, व्यक्तिगत सहायता/संदर्भ सेवा एवं संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। अन्य कार्यों में बजट आबंटन, ग्रंथ चयन एवं आदेश, नियम निर्माण, प्रबंधन के कार्य किये जाते हैं। राज्य शासन द्वारा शासकीय अनुदान प्रतिवर्ष 4.50 लाख प्रदान किये जाते हैं।

सर्वेक्षित जिला ग्रंथालयों का साख्यिकीय विश्लेषण –

शोध विषय की प्रांसगिता तभी संभव है, जब शोध की आवश्यकता एवं उसके निहित उद्देश्यों के अनुसार साख्यिकीय पहलुओं का भली–भांति विश्लेषण न कर लिया जाये। विश्लेषण से हम अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचते का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत शोध अध्ययन में छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के अंतर्गत स्थापित जिला ग्रंथालयों की वस्तुस्थिति यथा जिला ग्रंथालय कर्मचारियों की संख्या, जिला ग्रंथालय के सदस्यों की संख्या, जिला ग्रंथालय की संग्रहण स्थिति, जिला ग्रंथालय सूचना स्रोत, जिला ग्रंथालय की सूचना सेवाएं एवं पाठक निर्देशन कार्यक्रम की जानकारी प्राप्त की गई है। संकलित जानकारी का विश्लेषण निम्नानुसार प्रदर्शित है –

तालिका क्रमांक 1

छत्तीसगढ़ राज्य के सर्वेक्षित जिला ग्रंथालयों में कर्मचारियों की संख्या

क्र.	जिला	ग्रंथपाल	सहायक ग्रंथपाल	तृतीय श्रेणी	चतुर्थश्रेणी	योग
1	बस्तर	1	1	2	1	5
2	बिलासपुर	1	1	1	2	5
3	दंतेवाड़ा	1	-	1	1	3
4	दुर्ग	1	-	1	3	5
5	जशपुर	1	-	1	2	4
6	कवर्धा	1	-	1	1	3
7	रायगढ़	1	-	2	2	5
8	रायपुर	1	1	1	3	6
9	राजनांदगांव	1	-	2	1	4
10	सरगुजा	1	-	-	5	6
योग		**10**	**3**	**12**	**21**	**46**
प्रतिशत		**21.7**	**6.5**	**26.1**	**45.7**	**100.0**

तालिका 1 के सारणीयन से स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ के सर्वेक्षित 10 जिला ग्रंथालयों में कर्मचारियों की स्थिति में सभी ग्रंथालयों में 1–1 ग्रंथपाल (21.7), सहायक ग्रंथपाल 3 (6.5), तृतीय श्रेणी (26.1), चतुर्थ श्रेणी 21 (45.7) हैं।

तालिका क्र. 2 छत्तीसगढ़ राज्य के सर्वेक्षित जिला ग्रंथालयों में सदस्यों की संख्या

क्र.	जिला	पुरूष	महिला	अन्य	योग
1	बस्तर	811	475	75	1,361
2	बिलासपुर	525	340	200	1,065
3	दंतेवाड़ा	450	150	395	995
4	दुर्ग	925	300	300	1,525
5	जशपुर	450	295	180	925
6	कवर्धा	325	276	165	766

Scanned with CamScanner

7	रायगढ़	780	314	150	1,244
8	रायपुर	475	295	280	1,050
9	राजनांदगांव	960	625	290	1,875
10	सरगुजा	870	425	180	1,475
योग		**6,571**	**3,495**	**2,215**	**12,281**
प्रतिशत		**53.5**	**28.5**	**18.0**	**100**

तालिका 2 के सारणीयन से स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ के सर्वेक्षित 10 जिला ग्रंथालयों में कर्मचारियों की स्थिति में सभी ग्रंथालयों में सदस्यों की संख्या में पुरूष सदस्य 6574 (53.5 प्रतिशत), महिला सदस्य 3495 (28.5 प्रतिशत), अन्य सदस्य 2251 (18.0 प्रतिशत) है।

तालिका क्र. 3 : छत्तीसगढ़ राज्य के सर्वेक्षित जिला ग्रंथालयों में संग्रह की स्थिति

क्र.	जिला	ग्रंथ	पत्रिका	संदर्भ ग्रंथ	योग
1	बस्तर	30,000	21	350	30,371
2	बिलासपुर	21,832	18	250	22,100
3	दंतेवाड़ा	10,350	20	238	10,608
4	दुर्ग	38,751	40	800	39,591
5	जशपुर	9,000	20	322	9,342
6	कवर्धा	8,842	50	272	9,164
7	रायगढ़	32,450	32	4,000	36,482
8	रायपुर	27,000	65	625	27,690
9	राजनांदगांव	16,471	27	500	16,998
10	सरगुजा	27,000	30	625	27,655
योग		**221,696**	**323**	**7,982**	**230,001**
प्रतिशत		**96.4**	**0.1**	**3.5**	**100**

तालिका 3 में सर्वेक्षित जिला ग्रंथालयों में संग्रह की स्थिति पर आधारित है। संग्रह की स्थिति का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि जिला ग्रंथालय दुर्ग सबसे अधिक संग्रह वाला ग्रंथालय है, जहां कुल 39591 संग्रह (38751 ग्रंथ, 40 पत्रिका एवं 800 संदर्भ ग्रंथ) हैं वहीं सबसे कम संग्रह जिला ग्रंथालय कवर्धा (कबीरधाम) में 9164 संग्रह (8842 ग्रंथ, 50 पत्रिका तथा 272 संदर्भ ग्रंथ) संग्रहित हैं। इन 10 ग्रंथालयों में कुल ग्रंथों की संख्या 221696 ग्रंथ (96.4 प्रतिशत), 323 पत्रिका (0.1 प्रतिशत) तथा संदर्भ ग्रंथ 7982 (3.5 प्रतिशत) हैं।

तालिका क्र. 4 : छत्तीसगढ़ राज्य के सर्वेक्षित जिला ग्रंथालयों में सूचना स्रोत

क्र.	जिला	टेलीविजन	कम्प्यूटर	पत्र–पत्रिकाएं	समाचार पत्र	इंटरनेट
1	बस्तर	-	-	✓	✓	-
2	बिलासपुर	-	✓	✓	✓	-
3	दंतेवाड़ा	-	-	✓	✓	-
4	दुर्ग	-	-	✓	✓	-
5	जशपुर	✓	✓	✓	✓	-
6	कवर्धा	-	-	✓	✓	-
7	रायगढ़	-	✓	✓	✓	✓

Scanned with CamScanner

8	रायपुर	✓	✓	✓	✓	✓
9	राजनांदगांव	✓	✓	✓	✓	✓
10	सरगुजा	✓	✓	✓	✓	✓
योग		**4**	**6**	**10**	**10**	**4**
प्रतिशत		**40.0**	**60.0**	**100.0**	**100.0**	**40.0**

तालिका 4 में सर्वेक्षित जिला ग्रंथालयों में सूचना के विभिन्न स्रोतों की वस्तुस्थिति को ज्ञात किया गया है। सूचना स्रोत के रूप में सभी सर्वेक्षित 10 ग्रंथालय पत्र–पत्रिका एवं समाचार पत्रों के माध्यम पाठकों सूचना उपलब्ध कराते हैं। ऐसे 6 (60.0 प्रतिशत) ग्रंथालय हैं जहां कम्प्यूर उपकरण उपलब्ध हैं, जो ग्रंथालय के कार्यविधि को नियंत्रित करते हैं। समसामयिक तात्कालिक सूचना प्राप्त करने के लिए 4 (40.0 प्रतिशत) ग्रंथालय में टेलीविजन की व्यवस्था की गई है। वहीं इंटरनेट सुविधा से युक्त 04 (40.0 प्रतिशत) ग्रंथालय हैं, जो वर्तमान की ई–सूचना प्रणाली से परिपूर्ण हैं।

तालिका क्र. 5 : छत्तीसगढ़ राज्य के सर्वेक्षित जिला ग्रंथालयों में सूचना सेवाएं

क्र.	जिला	फोटोकापी सेवा	प्रलेख सेवा	बाल विकास सेवा	प्रदर्शनी सेवा	अनुवाद सेवा	ब्रेललिपि सेवा
1	बस्तर	✓	✓	✓	✓	-	-
2	बिलासपुर	-	✓	-	-	-	-
3	दंतेवाड़ा	-	✓	✓	✓	✓	-
4	दुर्ग	✓	✓	-	-	-	-
5	जशपुर	-	✓	✓	-	-	-
6	कवर्धा	-	✓	-	✓	-	-
7	रायगढ़	✓	✓	✓	-	-	-
8	रायपुर	✓	✓	✓	✓	-	-
9	राजनांदगांव	-	✓	✓	-	-	-
10	सरगुजा	✓	✓	✓	-	-	✓
योग		**5**	**10**	**7**	**4**	**1**	**1**
प्रतिशत		**50.0**	**100.0**	**70.0**	**40.0**	**10.0**	**10.0**

तालिका 5 में सर्वेक्षित जिला ग्रंथालयों में दी जा रही सूचना सेवाओं के बारे जानकारी एकत्रित किया गया है। प्रस्तुत तालिका में 5 जिला ग्रंथालयो में 50 प्रतिशत फोटोकापी सेवा, सभी 10 सर्वेक्षित जिला ग्रंथालयों में प्रलेख सेवा 100 प्रतिशत, 7 जिला ग्रंथालयों में 70 प्रतिशत बाल विकास सेवा, 4 ग्रंथालयों में 40 प्रतिशत प्रदर्शनी सेवा दी जाती है, वहीं 1 जिला ग्रंथालय दंतेवाड़ा तथा 1 जिला ग्रंथालय सरगुजा में ब्रेललिपि सेवा प्रदान की जाती है।

तालिका क्रमांक 6:छत्तीसगढ़ राज्य के सर्वेक्षित जिला ग्रंथालयों में पाठक निर्देशन कार्यक्रम

क्र.	जिला	व्याख्यान	निर्देश	व्यक्तिगत सहायता/ संदर्भ सेवा	संगोष्ठी
1	बस्तर	-	✓	-	-
2	बिलासपुर	✓	-	-	✓
3	दंतेवाड़ा	✓	✓	-	✓
4	दुर्ग	✓	-	✓	✓

Scanned with CamScanner

5	जशपुर	✓	✓	✓	-
6	कवर्धा	✓	-	✓	-
7	रायगढ़	✓	✓	✓	✓
8	रायपुर	-	✓	✓	✓
9	राजनांदगांव	✓	-	-	✓
10	सरगुजा	✓	✓	✓	✓
योग		**8**	**6**	**6**	**7**
प्रतिशत		**80.0**	**60.0**	**60.0**	**70.0**

तालिका 6 में सर्वेक्षित जिला ग्रंथालयों पाठक निर्देशन कार्यक्रम की सफलता को दर्शाया गया है, जिसमें सर्वेक्षित जिले के 8 जिला ग्रंथालयों में (80 प्रतिशत) व्याख्यान, 6–6 जिला ग्रंथालयों में समान रूप से (60 प्रतिशत) निर्देश एवं व्यक्तिगत सहायता/संदर्भ सेवा एवं 7 जिला ग्रंथालयों में (70.0 प्रतिशत) संगोष्ठी का आयोजन किया गया है।

निष्कर्ष –

प्रस्तुत सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 10 जिला मुख्यालयों में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 2008 के अंतर्गत स्थापित जिला ग्रंथालयों के अधोसंरचना एवं व्यवस्थाओं पर प्रकाश डाला गया है। इन जिला ग्रंथालयों के अवलोकन पश्चात् निम्नांकित निष्कर्ष प्राप्त हुए है –

1. सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ है कि संग्रह की स्थिति के अनुसार कार्यरत कर्मचारियों की संख्या अत्यंत कम है। अतः सूचना संचार को अत्यधिक लोकप्रिय एवं सार्वभौम बनाने के लिए राज्य शासन को इन ग्रंथालयों में पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह भी ध्यान देने योग्य है कि बिना मानव संसाधन के हम लक्षित उद्देश्यों को कदापि नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए मानव संसाधन के विकास पर बल दिया जाना चाहिए।
2. सर्वेक्षित 10 ग्रंथालयों में पुरूष सदस्यों की संख्या महिला सदस्यों की तुलना में बहुत कम है। अन्य सदस्यों में बच्चे को सम्मिलित किया गया है, जिनकी संख्या अपेक्षाकृत कम है। अतः इन सर्वेक्षित ग्रंथालयों में पाठक सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए स्थानीय प्रशासन तथा शासन स्तर पर विशेष प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।
3. सर्वेक्षित 10 जिला ग्रंथालयों में यद्यपि ग्रंथों की संख्या पर्याप्त है, वहीं संदर्भ ग्रंथ एवं पत्र–पत्रिकाओं की संख्या अपेक्षाकृत कम हैं। आधुनिक सूचना क्रांति सूचना प्रौद्योगिकी की विभिन्न माध्यमों पर आधारित है, जहां ग्रंथ एवं अन्य सामग्रियां इलेक्ट्रानिक स्वरूप में उपलब्ध हो रहे हैं। अतः इन ग्रंथालयों में इलेक्ट्रानिक सूचना माध्यमों अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये ग्रंथालय व्यवस्थाकों की जागरूता एवं संसाधनों के स्थापीकरण हेतु प्रयास किया जाना आवश्यक है, जिससे ये ग्रंथालय पाठकों एवं सूचना प्राप्तकर्ताओं की मांग व आवश्यकता की पूर्ति करने में योगदान दे सकें।
4. सर्वेक्षण से सामान्य रूप से यह पाया गया कि इन ग्रंथालयों में वर्तमान के सभी आवश्यक सूचना स्रोत का अभाव है। यहां सूचना स्रोत को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त उपकरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिससे सूचना आवश्यकता की पूर्ति सर्वसामान्य को पर्याप्त मात्रा में हो सके।
5. सेवा से तात्पर्य निःस्वार्थ एवं जनकल्याण से हैं। ग्रंथालय का मूल उद्देश्य बिना लाभ के अपने पाठकों को यथासंभव सूचनाओं का उपलब्ध संसाधन के अनुसार सेवा प्रदान कर पाठकों को संतुष्ट करने से हैं। सर्वेक्षित 10 जिला ग्रंथालय में प्रलेख सेवाएं, फोटोकापी सेवा, बाल विकास सेवा,

Scanned with CamScanner

प्रदर्शनी सेवा, अनुवाद सेवा एवं ब्रेललिपि सेवा देने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये सेवाएं कुछ ही इन ग्रंथालयों में समान रूप से उपलब्ध नहीं हैं। स्पष्ट है कि ग्रंथालय सेवा तभी उच्च मानी जायेगी, जब उसकी सूचना सेवाएं सभी विधाओं में विकसित अवस्था में हो, अतः सूचना सेवाओं को विस्तारित करने के लिए यथासंभव प्रयास किया जाना चाहिए और कमियों को दूर कर एक सफल ग्रंथालय के विकास को सुनिश्चित करना चाहिए।

6. छत्तीसगढ़ के सर्वेक्षित जिला ग्रंथालयों में समाज कल्याण की दिशा में पाठक निर्देशन कार्यक्रम के अंतर्गत समाजिक, सास्कृतिक एवं आर्थिक विकास संबंधी विषयों पर व्याख्यान, संगोष्ठी तथा अन्य जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित कर लोगों का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। सामाजिक जागरूकता के अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहां पाठक निर्देशन कार्यक्रम के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, अतः पाठक निर्देशन कार्यक्रम का विस्तार करते हुए इन क्षेत्रों को भी शामिल किया जाना चाहिए तथा संसाधन उपलब्ध कराने हेतु विस्तारित कार्ययोजना राज्य शासन को प्रस्तुत कर आर्थिक सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए।

संदर्भ सूची –

1. लाल, सी एवं कुमार, के. (2007), ''ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान'' (विवराणात्मक प्रश्नः एस.एस. पब्लिकेशन, दरियागंज, नई दिल्ली.
2. सूद, एस.पी. (1994), प्रलेखन एवं सूचना विज्ञान, राज पब्लिशिंग हाऊस, जयपुर (राजस्थान).
3. मुखर्जी, नंदिता बी (2009), बदलते परिवेश में सार्वजनिक पुस्तकालय, विजयश्री आफसेट प्रिंटर्स, पटना.
4. त्रिपाठी, एस. एन. (2005) : संदर्भ एवं सूचना सेवा के नवीन आयाम, वाई. के. पब्लिशर्स, आगरा (उ.प्र.).
5. छत्तीसगढ़ राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 2008, छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण), विधि एवं विधायी कार्य विभाग, रायपुर.

———

Scanned with CamScanner

सदस्यता शुल्क

शोध पत्रिका का नाम	ISSN	अवधि	सहयोग राशि
Researchers Today **A Quarterly Multidisciplinary** **Peer -Reviewed** **Research Journal**	**2231- 4369**	त्रैमासिक (जनवरी / अप्रेल / जुलाई / अक्टुबर)	व्यक्तिगत 2000 / 1–वर्ष व्यक्तिगत / संस्थागत 6000 / 05 वर्षो के लिए 10000 / 10 वर्षो के लिए
AIYRA **A Quarterly Multidisciplinary** **Peer -Reviewed Research Journal**	**2347- 2170**	त्रैमासिक (जनवरी / अप्रेल / जुलाई / अक्टुबर)	व्यक्तिगत 2000 / 1—वर्ष व्यक्तिगत / संस्थागत 6000 / 05वर्षो के लिए 10000 / 10 वर्षो के लिए
New Age Researchers **A Quarterly Multidisciplinary** **Peer -Reviewed Research** **Journal**	**2350-1405**	त्रैमासिक (जनवरी / जुन / सितम्बर / दिसम्बर)	व्यक्तिगत 2000 / 1—वर्ष व्यक्तिगत / संस्थागत 10000 / 05वर्षो के लिए 8000 / 10 वर्षो के लिए
EDU SPHERE **A Quarterly Educational** **Peer -Reviewed Research Journal**	**2395 -2490**	त्रैमासिक (जनवरी / अप्रेल / जुलाई / अक्टुबर)	व्यक्तिगत 2000 / 1—वर्ष व्यक्तिगत / संस्थागत 6000 / 05वर्षो के लिए 10000 / 10 वर्षो के लिए

Fill this attached subscription form for upbringing the

Research Journal

Name the address for sending the research journal

……

……Pin……..……

Mobile no……..……E.mail ……..……

EDU SPHERE	☐	**Individual**	☐	**1 year**	☐
Researchers Today	☐			**5 years**	☐
AIYRA	☐	**Institutional**	☐	**10 years**	☐
New Age Researchers	☐				

सहयोग की आशा के साथ

Dr. A. Rajshekhar
A-104, Housing Board Colony, Kota, Raipur, Chhattisgarh- 492 010,
Email: geoshekhar@yahoo.co.in / aiyra31@gmail.com
phone 9713354555/9827898656

Scanned with CamScanner